अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

का.आ. 351(अ).—**जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 अगस्त, 1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 611 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सहयोग कुष्ठयग्न ट्रस्ट, राजेन्द्रनगर, तालुका-हिमालनगर,जिला साबरकांठा, गुजरात-383276 द्वारा राजेन्द्रनगर, जिला साबरकांठा, गुजरात में कुष्ठ को समाप्त करने, कुष्ठ से प्रभावित लोगों और उनके बच्चों के पुनर्वास तथा ग्रामीण स्वास्थ्य की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 1 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 211 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था तथा जिसे दिनांक 26 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 413 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनः आगे बढ़ाया गया था ;**

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहयोग कुष्ठयग्न ट्रस्ट, राजेन्द्रनगर, तालुका-हिमालनगर,जिला साबरकांठा, गुजरात-383276 द्वारा राजेन्द्रनगर, जिला साबरकांठा, गुजरात में चलाई जा रही कुष्ठ को समाप्त करने, कुष्ठ से प्रभावित लोगों और उनके बच्चों के पुनर्वास तथा ग्रामीण स्वास्थ्य की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण् वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र एक करोड़ सत्तर लाख रूपए की कार्पस निधि सहित एक करोड़ तीस लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 66-2003/फा. सं. एन.सी.-166/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)